भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 763
5 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बड फ्लू पर नियंत्रण

763. श्री तालारी रंगैय्या:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चन्द्र शेखर साहू:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री एस.सी. उदासी:
श्री बालक नाथः
कुमारी प्रतिभा भौमिक:
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अनेक हिस्सों में बड फ्लू प्रकोप के खतरे को इंगित करने वाली रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसके कितने स्ट्रेन का पता चला है देश में मीट उत्पादों के लिए प्रयोगशाला परीक्षणों की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत दो महीने के दौरान यदि बड फ्लू के संक्रमण के मानवीय मामले और मौतों की रिपोर्ट आई है तो उनकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) बड फ्लू/एवियन इन्फ्लूएंजा और अन्य प्राणीजन्य रोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और

(ड) क्या देश म लोगों को बड फ्लू/एवियन इन्फ्लूएंजा और अन्य प्राणीजन्य रोगों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई टीका विकसित किया गया है या खरीदा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) खाद्य पदार्थों म एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ह?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): जी, हां अभी तक एच5एन1, एच-5एन-8 और एच5 स्ट्रेंस को पहचान को गई है। राष्ट्रीय पशु रोग उच्च सुरक्षा संस्थान (एनआईएचएसएडी), भोपाल देश म मांस उत्पादों म बड फ्लू के संबंध म प्रयोगशाला जांच करता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को धारा 43(1) के तहत190 प्राथमिक खाद्य जांच प्रयोगशालाओं और अधिनियम को धारा 43(2) के तहत 18 रेफरल प्रयोगशालाओं का नेटवक है। इनके अलावा एफएसएस अधिनियम, 2006 को धारा 98 के तहत कायशील 18 राज्य खाद्य जांच प्रयोगशालाएं ह। इनम से ज्यादातर 165 खाद्य प्रयोगशालाएं मांस उत्पादों को जांच करने म सक्षम ह। 2 रेफरल प्रयोगशालाएं अथात नेशनल रिसच सटर ऑन मीट हैदराबाद तथा सट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ टेक्नोलॉजी, कोच्चि मीट और मतस्य जांच के काय के लिए समर्पित ह।

(ग): आज को तारीख तक, किसी प्रयोगशाला ने देश म एवियन इनफ्लुएंजा के मानव मामलों को पुष्टि नहों को है।

(घ): पशु रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के अंतगत विभाग राज्यों को कारवाई योजना और आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करके बड फ्लू सहित पशु रोगों को रोकथाम, नियंत्रण और परिरोधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार के प्रयासों को पूरा करता है। बड फ्लू से प्रभावित राज्यों को प्रदान को गई वित्तीय सहायता अनुलग्नक म है।

(ड़): बड फ्लू/ एवियन इन्फ्लूएंजा से लोगों को सुरक्षा के लिए किसी वैक्सीन को भारत म तैयार अथवा सरकार द्वारा अधिप्रापण नहों किया गया है।

जूनोटिक रोगों रेबीज, जैपनीज एनसिफालाईटिस, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के लिए सरकार द्वारा वैक्सीन का व्यापक रूप से उपयोग और अधिप्रापण किया गया।

(च): 25 अधिसूचित प्राथमिक खाद्य सुरक्षा जांच प्रयोगशालाओं और कुछ रेफरल प्रयोगशालाओं यानी सीएएलएफ-राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोड, गुजरात, सीआईएफटी, कोच्चि, एनआरसी, मीट, हैदराबाद, राष्ट्रीय खाद्य जांच प्रयोगशाला, कोलकाता और एक राष्ट्रीय रेफरस प्रयोगशाला यानी एडवड खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण कद्र, कोलकाता म एंटीबायोटिक अवशेषों के जांच को सुविधाएं ह।

अनुलग्नक

पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता के तहत बड फ्लू प्रभावित राज्यों से संबंधित धन (एएससीएडी)

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख (रु. म)
1	बिहार	0.00
2	छत्तीसगढ़	486.25
3	गुजरात	0.00
4	हरियाणा	694.91
5	हिमाचल प्रदेश	64.78
6	केरल	0.00
7	मध्य प्रदेश	0.00
8	महाराष्ट्र	0.00
9	पंजाब	0.00
10	राजस्थान	1041.24
11	उत्तर प्रदेश	6313.98
12	उत्तराखंड	30.62
13	दिल्ली	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	1724.58
	कुल	10356.36

*****